

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2,  
गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines  
Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,  
Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल: gandhinagar.ibm@gmail.com Mine Code- 38GUJ21091 Date-08/9/2017

मिसिल संख्या : GUJ/JAM/BXT-16/Part-II

प्रेषित : P.Dattani & Company.

Mahatma Gandhi road, Porbandar,  
District-Porbandar, Gujarat  
PIN-360575

विषय:- गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले, रानावाव तालुका, आदित्यना गाँव में स्थित आपकी आदित्यना चॉक एवं चुनापत्थर खदान, सर्वे नंबर 190/42 (पी), क्षेत्रफल 17.806 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 13/8/2017 FN को श्री योगी दत्तानी, खान मालिक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया था तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
Rule 11(1)	<b>No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines.</b> <i>In your case, It was observed during inspection that Mining Operations were being carried out without approved Mining Plan/Review of Mining plan of limestone mineral.</i>
Rule 45(5)(b) & 45(5)(c)	<b>The holder of a mining lease shall submit <u>online returns</u> in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner.</b> <i>(b) a monthly return which shall be submitted before the 10<sup>th</sup> day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form. © an annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.</i> <i>In your case, you have not submitted the online returns from 2011-12 onwards to till date to this office. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately through <a href="http://www.ibm.gov.in/index.php/auth/login">www.ibm.gov.in/index.php/auth/login</a></i>
Rule 26(2)	<i>A yearly report before 1<sup>st</sup> July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation work carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office.</i>

Rule 33	<b>The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along with a print copy of the Surface Geological plan &amp; section on or before the 30<sup>th</sup> June of every year. In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan &amp; section maintained under rule 32 of MCDR, 2017 to this office till date.</b>
---------	--

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2)/ 45(7) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, और / या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है।
03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से **45 दिन** के भीतर उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें।

भवदीय

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,  
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

02. खान नियंत्रक(उ.आ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन विभाग/निदेशालय, गांधीनगर, गुजरात को सूचनार्थ प्रेषित।
01. उप महानिदेशक (सांखिकी), खान एवं खनिज' प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को सूचनार्थ प्रेषित, यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,  
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर